

प्लास्टिक अपशष्टि उत्पादन में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

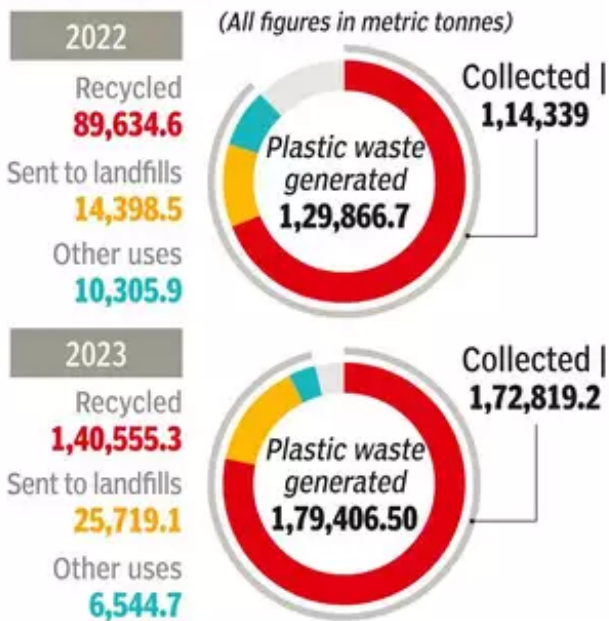
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में प्लास्टिक अपशष्टि उत्पादन में 1,79,406.5 टन की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2022 के 1,29,866.7 टन से 38% अधिक है। इस अपशष्टि का लगभग 14% लैंडफिल में नपिटान किया गया था।

मुख्य बटु:

- रिपोर्ट में राज्य में प्लास्टिक की खपत में वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है, जिससे संभवतः अधिक प्लास्टिक अपशष्टि का उत्पादन हो रहा है।
 - यह विकास चिंताजनक है क्योंकि यह [अपशष्टि प्रबंधन](#) के लिये बाधाएँ उत्पन्न करता है और इसके स्थायी पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं।
 - वर्षाज्जों का सुझाव है कि इस समस्या के समाधान में प्लास्टिक के उपयोग में कटौती करना और पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को अपनाने को प्रोत्साहित करना शामिल है।
- लैंडफिल में प्लास्टिक अपशष्टि को जलाना एक पर्यावरणीय मुद्दा बन गया है क्योंकि खराब प्रबंधन वाली जगहों के कारण सामान्यतः आग लग सकती है और वहाँ ज़हरीले पार्टिकुलेट मैटर (PM) व गैसीय उत्सर्जन हो सकता है।
 - इसलिये, नविरक उपाय के रूप में लैंडफिल में प्लास्टिक के नपिटान को कम करने की सलाह दी जाती है।
- शहरी स्थानीय निकाय (ULB) बभाग ने प्लास्टिक अपशष्टि के प्रबंधन के लिये एक रणनीति तैयार की है, जिसे [केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड \(CPCB\)](#) को सौंप दिया गया है।
 - सभी नगर नगिर्मों को आवश्यक रूप से सामग्री पुनरुप्राप्ति सुवधिरै (MRF) स्थापति करने और [ठोस अपशष्टि प्रबंधन नयिम, 2016](#) तथा [प्लास्टिक अपशष्टि प्रबंधन नयिम, 2016](#) के अनुसार अपने प्लास्टिक अपशष्टि को संभालने का नरिदेश दिया गया है।

25K TONNES OF WASTE SENT TO LANDFILLS IN 2023

Haryana produced 38% more plastic waste in 2023



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board- CPCB)

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 को किया गया।
- इसके पश्चात् केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ व कार्य सौंपे गए।
- यह एक कषेत्रीय गठन के रूप में कार्य करता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी प्रदान करता है।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

- भारत सरकार के जल अधिनियम, 1974 के कानून के बाद जल की संपूर्णता को संरक्षित करने और जल प्रदूषण को रोकने के लिये वर्ष 1974 में हरियाणा सरकार द्वारा एक सांविधिक संगठन के रूप में इसका गठन किया गया था।

पार्टिकुलेट मैटर (PM)

- पार्टिकुलेट मैटर या PM, हवा में नलिनबति बेहद छोटे कणों और तरल बूंदों के एक जटिल मिश्रण को संदर्भित करता है। ये कण कई आकारों में आते हैं और सैकड़ों विभिन्न यौगिकों से बने हो सकते हैं।
 - PM 10 (मोटे कण) - 10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण।
 - PM 2.5 (सूक्ष्म कण) - 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण।

Particulate Size Matters: Comparing sizes

Small particles pose the greatest risk to human health. While the nose can filter most coarse particles, fine and ultrafine particles are inhaled deeper into the lungs where they can be deposited or even pass into the bloodstream.

Measurement indicate microns in diameter (μm).

PM10 ($\leq 10 \mu\text{m}$) Coarse Particles



Pollen



Mold spores



Dust

PM2.5 ($\leq 2.5 \mu\text{m}$) Fine Particles



Bacterium



T4 Bacteriophage



Dust mite allergens



Pet dander

UF ($< 0.1 \mu\text{m}$) Ultrafine Fine Particles



Influenza A



Smoke



Soot/ Black Carbon



SARS-CoV-2

Human hair
50-180 μm